कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

सिविल कोर्ट परिसर मेरठ में स्थित तेरह न्यायालय भवन में लगी हुई दो लिफ्ट जिनकी क्षमता क्रमशः 6 व्यक्ति व 20 व्यक्तियों को एक साथ ले जाने की है, के संबंध में उनके वार्षिक अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आयकर व्यापारकर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्मो से सीलबन्द टैन्डर दिनांक–28.03.2018 तक आमन्त्रित किये जाते है। टैन्डर के साथ अंकन 5000–00 रूपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप मे ड्राफ्ट जिला जज, मेरठ के नाम में अथवा नगद रूप से कैशियर सिविल कोर्ट, मेरठ के पास दिनांक–28.03.2018 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक जमा कराना होगा। टैन्डर उसी दिन 2:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष खोले जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा फर्म स्वामी टैन्डर खोलते समय यदि उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

टैन्डर केवल उसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा दाखिल किया जायेगा जिसे उक्त कार्य करने का अनुभव हो तथा अनुभव के संबंध आवश्यक प्रमाण पत्र टैन्डर दाखिल करते समय प्रस्तुत करना होगा। किसी भी टैन्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा तथा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय बिना किसी कारण बताये टैन्डर प्रकिया को निरस्त कर सकते है। टैन्डर के संबंध मे विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है। टैन्डर जिस व्यक्ति अथवा फर्म के पक्ष में स्वीकृत होगा उसे तत्काल अनुबंध पत्र का निष्पादन कराना होगा।

दिनांक–08.03.2018

(लोकेश पंवार)	(प्रीती चौधरी)	(अभयप्रकाश नारायण)	(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
न्यायालय प्रबन्धक,	सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी,	सदस्य, इन्फ्रा सब कमेटी,	अध्यक्ष, इन्फ्रा सब कमेटी,
जनपद न्यायालय, मेरठ।	जनपद न्यायालय, मेरठ।	जनपद न्यायालय, मेरठ।	जनपद न्यायालय, मेरठ।